हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.03.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी दिनांक 17.02.2020 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी प्रार्थीगण दौराने बहस प्रतिवादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को दोहरते हुए कथन किया कि प्रकरण मे वाद ग्रस्त भूमि मे से चक 5 ए.आर.डब्ल्यू. (बी) के पत्थर नम्बर 87/334 के किला नम्बर 9 ता 12 कुल 4.00 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की क्रय की हुई थी जिसकी विशिष्ट पालना की डिक्री माननीय अपर जिला न्यायाधीश 02 हनुमानगढ़ के यहा से प्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 25.04.2015 को पारित हो चुकी है, प्रार्थी के पक्ष में इन 4.00 बीघो का शाश्वत व्यादेश भी है, प्रार्थी का हक किला नम्बर 9 ता 12 के अलावा वाद ग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नही है। डिक्री दिनांक 25.04.2015 की प्रति श्रीमान् न्यायालय को प्रस्तुत की जा चुकि है। चुकि विवादित आराजी के सम्ध में वाद सीविल न्यायालय से पारित हो चुका है। अतः उक्त न्यायालय में नही चल सकता है। अतः वाद वादी वर्तमान स्तर पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस अपनें जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 के निर्णय दिनांक 25.04.2015 को चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकि है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने चुनौतीधीन बैयनामा को स्थगित किया हुआ है। क्योकि प्रथम अपील को वाद की निरस्तता की अवधारित की गई है। ऐसी स्थिति में पक्षकरों के मध्य इस भूमि से सम्बधित विवाद का अन्तिम प्रकार से निर्णय न होनें की स्थिति में वाद की पोषनीयता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के अनुतोष में विवादित आराजी चक 5 ए.आर.डब्ल्यू. (बी) के पत्थर नम्बर 87/334 के किला नम्बर 9, 10, 11/.240, 12, 16, ता 19, 20/063, 22/.114, 23/.228, 24/.228, 25/.228 कुल 2.872 हैक्टर भूमि के सम्बंध में शाश्वत् व्यादेश का अनुतोष चाहा है।

उक्त विवादित आराजी में से माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 के निर्णय दिनांक 25.04.2015 के द्वारा किला नम्बर 9 ता 12 कुल 4.00 बीघा भूमि का विक्रय विलेख प्रतिवादी के खर्चे पर प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित व पंजीवद करवानें हेतु तथा प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश इस आशय का भी जारी किया जा चुका है, कि किला नम्बर 9 ता 12 कुल 4.00 बीघा भूमि प्रतिवादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से अन्तरित करनें व इस भूमि का कब्जा हस्तान्तरित करनें व प्रतिवादी को इस भूमि से बेदखल करनें व प्रतिवादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करनें से निषेद्ध रहे।

वादी द्वारा अपनें जवाब प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 के निर्णय दिनांक 25.04.2015 को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनें का कथन किया है, परन्तु अपनें जवाब प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अपील से सम्बंधित कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है। इसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें योग्य है।

चुँकि एक ही आराजी के सम्बंध में दो न्यायालयो में वाद विचाराधीन होने सें माननीय सीविल न्यायालय में विचाराधीन वाद का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा अतः उक्त वाद इस न्यायालय में चलनें योग्य नहीं होनें से वाद वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.07 22:27:50 IST
Reason: SelfAttested